न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 139/2018

-: प्रार्थी :-	बनाम	-: अप्रार्थी :-
1. सवाईसिंह पुत्र बलवन्तसिंह मूलाराम जाति-राजपूत, निवासी-सांगावास तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी **तारीख रजू:.04/06/2018**

उपस्थितः-

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. त्हसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 12/06/2018**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सांगावास प्रथम पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण में वादी की खरीदसुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 203 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में से 76/4064 वां हिस्सा की आई हुई है। जिसकी चालू जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावे। दावा में वर्णित कृषि भूमि में वादी वक्त खरीद से अपने हिस्से अनुसार यानि रजिस्ट्री में वर्णित हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी ने ओगड़राम उर्फ सोहनलाल पुत्र दुदाराम जाति-जाट, निवासी-सांगावास से दिनांक 18/7/2017 को जरिए रजिस्टर्ड पंजीबद्ध बैचान के खसरा नम्बर 184 रकबा 203 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में से यानि सम्पूर्ण भूमि में 76/4064 वां हिस्सा खरीद किया बैचाननामा की नकल वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादी ने उक्त पंजीबद्ध बैचान होने के बाद बैचाननामा की नकल तत्त्कालीन पटवारी हल्का सांगावास को माफिक बैचाननामा दिनांक 18/7/2017 के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के नामान्तरण भरने हेतु दी जिस पर तत्त्कालीन पटवारी हल्का सांगावास ने म्यूटेशन संख्या 1174 दिनांक 5/3/2018 को भरा गया लेकिन तत्त्कालीन पटवारी हल्का सांगावास द्वारा स्लीप ऑफ पैन होने से वादी का बैचाननामा में वर्णित हिस्सा 76/4064 के बजाय 70/4064 इन्द्राज हो गया जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता है जिसे जरिए दुरूस्ती के सही किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा उक्त राजस्व रेकर्ड के जमाबंदी की नकल दिनांक 25/5/2018 को लेने पर वादी को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि अपने खरीदसुदा भूमि में माफिक बैचाननामा हिस्सा दर्ज नहीं है तब वादी ने पटवारी हल्का जैतारण व तहसील जैतारण को अपने बैचाननामा व जमाबंदी की नकले बताई तब तहसीलदार जैतारण ने कहा कि हमारे द्वारा आपका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया इसमें किसी प्रकार की दुरूस्ती है तो आप न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हो तब वादी द्वारा श्रीमान् के समक्ष यह वाद बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का बिनाय दावा दिनांक 25/5/2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर व राजस्व रेकर्ड की नकल प्रतिवादी को माफिक बैचाननामा के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी द्वारा मना करने पर बमुकाम सांगावास व जैतारण में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फ़ास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्सा को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सांगावास में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम- सांगावास के खसरा नम्बर 184 में खातेदार ओगड़राम उर्फ सोहनलाल पुत्र दूदाराम 76/4064 कौम जाट जमाबंदी संवत् 2074-2077 में दर्ज है। खातेदार के हिस्सानुसार जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 18/7/2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 290 पृष्ट संख्या 125 क्र.स. 2017002514 पर पंजीबद्ध होने से नामान्तरण संख्या 1174 दर्ज कर दिनांक 5/3/2018 को फैसल किया गया। नामान्तरण संख्या 1174 दर्ज करते समय सेवन से खातेदार का हिस्सा 76/4064 के बजाय 70/4064 दर्ज किया गया। इसी प्रकार बिक्रित हिस्सा लिखने से जमाबंदी में भी इसी प्रकार अमल दरामद किया गया। जो गलत है। अतः नामान्तरण संख्या 1174 में ओगड़राम उर्फ सोहनलाल पुत्र दूदाराम के 76/4064 हिस्सा के स्थान पर 70/4064 हिस्सा दर्ज किया गया। यह ही हिस्सा 70/4064 क्रेता सवाईसिंह पुत्र बलवन्तसिंह कौम राजपूत के पक्ष में दर्ज किया गया। अतः 70/4064 के स्थान पर 76/4064 करना उचित है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा उक्त आराजी वर्तमान खातेदार ओगड़राम से खरीद की, ओगड़राम का जमाबन्दी में 76/4064 हिस्सा दर्ज था उसी अनुरूप बेचान किया गया परन्तु माफिक रजिस्ट्री का रेकर्ड में अमल दरामद करते समय सहवन से खरीददार वादी का हिस्सा 70/4064 दर्ज हो गया जो एक रोंग एन्ट्री हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज हिस्सा 70/4064 के स्थान पर सही हिस्सा 76/4064 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सांगावास प्रथम पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण में वादी की खरीदसुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 203 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का 70/4064 गलत हिस्सा दर्ज के स्थान पर वास्तविक एवं सही हिस्सा 76/4064 दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। डिकी पर्चा पृथक से लिखा जाकर सा0मि0 किया गया। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिकी पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सांगावास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)